BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

O.A. NO. 252/2024

IN THE MATTER OF:

IN RE: "NEWS ITEM APPEARING IN LALLURAM.COM DATED: 30.01.2024 (OA No. 252/2024)"

REPLY ON BEHALF OF THE CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD

FILED BY

ABHINAY SHARMA
Advocate for CECB
H-29, First Floor,
Jangpura Extension,
New Delhi – 110014
Email: abhinay@aslpartners.in
Mob. No.: 9899272882

Date: 19.03.2024
Place: New Delhi

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

O.A. NO. 252/2024

IN THE MATTER OF:

IN RE: "NEWS ITEM APPEARING IN LALLURAM.COM DATED: 30.01.2024 (OA No. 252/2024)"

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply on behalf of the Chhattisgarh Environment Conservation Board along with supporting Affidavit	1 – 9
2.	**ANNEXURE R-1** A true copy of the letter dated 12.03.2024 issued by CECB to the office of the Office of the Collector and District Magistrate, Gariaband, Chhattisgarh	10 – 13
3.	**ANNEXURE R-2** A true copy of the letter dated 18.03.2024 sent by the Office of the Collector and District Magistrate, Gariaband, Chhattisgarh to CECB which included the forwarded letter dated 18.03.2024 from the Office of Police Station Incharge, Police Station Panduka, District Gariaband (C.G.) along with a copy of First Information Report (hereinafter referred to as "FIR") dated 30.01.2024 bearing No. 0021	14 – 24
4.	**Vakalatnama**	25

FILED BY

ABHINAY SHARMA
Advocate for CECB
H-29, First Floor,
Jangpura Extension,
New Delhi – 110014
Email: abhinay@aslpartners.in
Mob. No.: 9899272882

Date: 19.03.2024
Place: New Delhi

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

O.A. NO. 252/2024

IN THE MATTER OF:

IN RE: "NEWS ITEM APPEARING IN LALLURAM.COM DATED: 30.01.2024 (OA No. 252/2024)"

REPLY ON BEHALF OF THE CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD

1. At the outset, it is submitted that present reply is being filed on behalf of the Chhattisgarh Environment Conservation Board (hereinafter referred to as **"CECB"**) in response to the captioned matter.

2. It is respectfully submitted that the present matter pertains to a news item from Lalluram.com dated January 30, 2024 titled as "*Notice of Hearing in Suo Moto matter - Mineral mafia's morale is high: concerning the responsibility for a deadly attack on a team tasked with halting illegal excavation and vandalism of vehicles in a sand ghat, has been received.*"

3. It is further submitted that, pursuant to the notice dated 06.03.2024 issued by this Hon'ble Tribunal, CECB, vide its letter dated 12.03.2024, requested the Office of the Collector and District Magistrate, Gariaband (C.G.) to provide the requisite information regarding the said incident and the action taken thereafter by the concerned department (Mining Department) and concerned police station (Police Station Panduka, District Gariaband).

A true copy of the letter dated 12.03.2024 issued by CECB to the office of the Office of the Collector and District Magistrate, Gariaband, Chhattisgarh is marked and annexed herewith as **ANNEXURE R-1.**

4. That, in response to the letter dated 12.03.2024 issued by CECB, the Office of the Collector and District Magistrate, Gariaband, Chhattisgarh issued their reply vide letter dated 18.03.2024 which included the forwarded letter dated 18.03.2024 from the Office of Police Station Incharge, Police Station Panduka, District Gariaband (C.G.) along with a copy of First Information Report (hereinafter referred to as **"FIR"**) dated 30.01.2024 bearing No. 0021.

   A true copy of the letter dated 18.03.2024 sent by the Office of the Collector and District Magistrate, Gariaband, Chhattisgarh to CECB which included the forwarded letter dated 18.03.2024 from the Office of Police Station Incharge, Police Station Panduka, District Gariaband (C.G.) along with a copy of First Information Report (hereinafter referred to as **"FIR"**) dated 30.01.2024 bearing No. 0021 is marked and annexed herewith as **ANNEXURE R-2.**

5. That, as per the forwarded letter dated 18.03.2024 received from the Office of the Collector and District Magistrate, Gariaband, Chhattisgarh, the following facts pertaining to the said incident came within the knowledge of the answering Respondent:
   i) On January 30, 2024, Mineral Inspector Subhash Chandra Sahu, aged 35, resident of Civil Line Gariyaband, Police Station City

Kotwali, Gariyaband, District Gariyaband (Chhattisgarh), along with his mining staff, received a complaint regarding illegal sand excavation. In response to the same and acting on the orders of a higher officer, they proceeded to Kutaina Sand Mining in Scorpio Vehicle bearing No. CG-23-6119 accompanied by staff members, Nagar Sainik (Constable) Rajesh Bhardwaj, Harishankar Nishad, daily wage vehicle driver Nandkumar Sahu and private vehicle driver Jubair Khan during the night for inspection.

ii) Upon arrival at the site, they discovered two Hyva vehicles (bearing sNo. CG-07-CN-9029 and No. CG-07-CP-8195) and three Chain Mountain Machines engaged in sand excavation. Two operators of the Chain Mountain Machines left their machines behind and fled the scene while one other operator was found present in one of the Chain Mountain Machines. As a result, Nagar Sainik (Constable) Harishankar Nishad was sent to Police Station Panduka along with one Hyva Vehicle (CG-07-CN-9029), Nagar Sainik (Constable) Rajesh Bhardwaj was sent with the other Hyva Vehicle (CG-07-CP-8195) and Nand Kumar Sahu was sent with the Chain Mountain Machine, leaving behind 2 Chain Mountain Machines. The team then began their return journey from the site.

iii) While enroute back to the Police Station Panduka at approximately 12:10 AM, upon reaching River Ghat, the team was stopped by Mahesh Chhabda, Suresh @ Surender Sahu, Kaliram Sahu and Rahul Bandhekar accompanied by about 10 to 15 other people. They arrived in a white Bolero Vehicle bearing No. CG-23-J-8605,

another unidentified white vehicle bearing No. CG-04-M-5562 and a long vehicle similar to an Innova car. They forcibly stopped their vehicles in front of the Chain Mountain Machine which was equipped with cudgel/stick, bamboo and rod.

iv) The group then proceeded to snatch the key of the Chain Mountain Machine from Nand Kumar Sahu who was sitting in the machine. Acting with a common intention, they obstructed the road, despite being aware that Subhash Chandra Sahu was a public servant. They disrupted the team from discharging their work responsibilities and physically restrained Subhash Chandra Sahu by grabbing his shirt collar. Mahesh Chhabra dragged him out of the vehicle and verbally abused him, threatening further violence. Mahesh Chhabra proceeded to slap Subhash Chandra Sahu on his left cheek. The group, armed with cudgel, stick and rod, damaged the private vehicle which was a Scorpio belonging to Subhash Chandra Sahu, thereby leading to the registration of case Crime No. 21/2024 under Sections 341, 294, 506, 323, 147, 148, 149, 353, 186 and 427of the Indian Penal Code (IPC).

v) During the course of investigation, Section 332, IPC was added as an offence after medical examination of injuries caused to the Subash Chandra Sahu was conducted and received from District Hospital, Gariyaband.

vi) During the course of investigation in the matter, on 31.01.2024 at 11.20 Hrs., after identification by Subhash Chandra Sahu in the presence of accused Kaliram Sahu, Son of Late Lakhan Sahu, age

63 years, resident of village Kutena, Police Station Panduka and Tahsildar, the arrests of the following accused were made:

A) Surender Kumar Birje, Son of Buddu Ram Birje, age 48 years;

B) Tikaram, son of Ram Lal Sahu, age 51 years;

C) Lokesh Sahu, son of Kishan Lal Sahu, age 33 years;

D) Khuluram, Son of Budhu Ram Mahilaange, age 51 years;

E) Mahender Sahu, Son of Lal Ji Sahu, age 46 years;

F) Vimal Sahu, Son of Nehru Sahu, age 37 years.

The above-mentioned accused were all residents of Village Kutena, Police Station Panduka, District Gariyaband (Chhattisgarh) and, on 20.02.2024, at 22.20, 22.30, 22.40, 22.50, 23.00, 23.10 Hrs. respectively all of them were sent on Judicial Remand.

vii) However, the remaining accused individuals, as mentioned below, are currently absconding:

A) Mahesh Chhabra, Son of Lal Chand Chhabra, Resident of Ward No. 23, Gokul Vatika Dhamtari;

B) Rahul Bandhekar, Son of Umend Bandhekar, Resident of Village Charmudia, Police Station Kurud;

C) Suresh @ Surender Sahu, son of Kaliram Sahu.

viii) As a result, an Absconding Panchnama was prepared and information about their movable and immovable properties was obtained from the office of the concerned Tehsil. Efforts to collect evidence against the absconded accused persons are ongoing and investigation proceedings under Section 173(8) of the Criminal

Procedure Code (Cr.P.C.) are continuing.

ix) Subsequently, based on the findings of the investigation, a charge sheet bearing No. 29/2024 was prepared on February 28, 2024 comprising charges of offence punishable under Sections 341, 294, 506, 323, 147, 148, 149, 353, 186 and 427 of IPC and the same was submitted to the Hon'ble Court of Judicial Magistrate First Class, Rajim ("Hon'ble Trial Court"). Thereafter, the same was numbered as Case No. 324 of 2024. After searching for the accused persons absconded in the matter, the supplementary charge sheet shall be produced before the Hon'ble Trial Court.

6. It is respectfully submitted before this Hon'ble Tribunal that prompt action has been taken by the Mining Department and the Police Station of Panduka, District Gariaband with regard to the incident.

7. Moreover, though the present matter comes within the purview of the Mining Department and Police Station of Panduka, District Gariaband, Chhattisgarh, this Affidavit is being filed after collating information from the concerned Departments as CECB has been called upon to respond by this Hon'ble Tribunal. It is submitted that CECB is committed to ensuring transparency and compliance with the directives of this Hon'ble Tribunal. Due to paucity of time, translated copy of all the documents are not being filed. We undertake to file the same if it is so directed by this Hon'ble Tribunal.

8. In light of the above, it is submitted that CECB has taken appropriate and necessary actions in response to the incident. That CECB respectfully prays that this Hon'ble Tribunal may take this Reply on record.

9. It is submitted that CECB prays that this Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this Reply and pass such other and further orders as it deems fit and proper in the facts and circumstances of the case.

FILED BY
ABHINAY SHARMA
ADVOCATES FOR CECB

H-29, FIRST FLOOR, JANGPURA EXTENSION,
NEW DELHI-110014 Mob No. 7999374176
E-mail- abhinay@aslpartners.in

Filed on: 19.03.2024
Place- Delhi

NOTARY
Sandhya Sharma
NOTARY ADVOCATE
RAIPUR (C.G.) INDIA
REG. NO. 17793
Exp. Dt. 19/12/24
GOVT. OF INDIA

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPLE BENCH, (DELHI)
O.A NO. 252/2024

IN THE MATTER OF:

IN RE.NEWS ITEM APPEARING IN LALLURAM.COM DATED: 30.01.2024(OA No. 252/2024)

I, PRASANNA SONKAR, Authorised Representative of Chhattisgarh Environment Conservation Board, registered office at C.G. Housing Board Colony, Kabir Nagar, Raipur, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am the Authorized Representative of Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipurin the present matter and am well conversant with the facts of the present case and competent to affirm this affidavit.
2. That I have read and understood the contents of the accompanying Reply which has been drafted under my instructions and state that the contents of the same are true and correct to my knowledge based on the records maintained by me.
3. The contents of the accompanying Reply have been explained to me in vernacular.

DEPONENT

सहायक अभियंता
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल
न्यू आफिस बिल्डिं रिंग रोड नं.-2
टाटीबंध रायपुर (छ.ग). 492099

NOTARY
Sandhya Sharma
NOTARY ADVOCATE
RAIPUR (C.G.) INDIA
REG. NO. 17793
Exp. Dt. 19/12/24
GOVT. OF INDIA

VERIFICATION

I, the Deponent above named, do hereby verify that the contents of foregoing affidavit are true and correct to my knowledge, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at __________ on this ___ day of March 2024 .

DEPONENT

सहायक अभियंता
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल
न्यू आफिस बिल्डींग रिंग रोड नं.-2
टाटीबंध रायपुर (छ.ग) 492099

DENTIFYING WITNESS

NOTARY
Sandhya Sharma
NOTARY/ADVOCATE
RAIPUR (C.G.) INDIA
REG. NO.-17793
Exp. Dt.-19/12/24
GOVT. OF INDIA

SOLEMENLY AFFIRMED OR
SWORN BEFORE ME BY
THE WITHIN NAMED.

19 MAR 2024

SANDHYA SHARMA
NOTARY/ADVOCATE
RAIPUR (C.G.) INDIA

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
न्यू ऑफिस बिल्डिंग, रिंग रोड नं.–02, टाटीबंध, रायपुर (छ.ग.)
ई–मेलः– rocecbraipur2014@gmail.com

क्रमांक 6702 क्षेका/तक./छ.प.सं.मं/2024 रायपुर दिनांक 12/3/2024

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला – गरियाबंद (छ.ग.)

विषय :– Notice of hearing in Suo Moto matter In re: News item appearing in lalluram.com dated : 30.01.2024 entitled ''खनिज माफियाओं के हौसले बुलंदः रेत घाट में अवैध उत्खनन रोकने गई खनिज टीम पर जानलेवा, गाडियों में की तोडफोड किसकी शह पर गुडागर्दी?

संदर्भ :– मंडल मुख्यालय का पत्र पृ. कमांक 9910 अटल नगर रायपुर दिनांक 11.03.2024.

––::00::––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त ओ.ए. कमांक 252/2024 Notice of hearing in Suo Moto matter In re: News item appearing in lalluram.com dated : 30.01.2024 entitled ''खनिज माफियाओं के हौसले बुलंदः रेत घाट में अवैध उत्खनन रोकने गई खनिज टीम पर जानलेवा, गाडियों में की तोडफोड किसकी शह पर गुडागर्दी'' संबंधित पत्र एवं जानकारी की प्रति संलग्न है। प्रकरण के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 20.03.2024 को Physical hearing (with hybrid option) नियत है। प्रकरण मूलतः खनिज विभाग तथा जिला प्रशासन से संबंधित है। अतः कृपया प्रकरण के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी से इस कार्यालय को अवगत कराने बाबत् संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध है, ताकि बोर्ड के संबंधित अधिवक्ता को जानकारी के साथ उपरोक्त सुनवाई में उपस्थित होने बाबत् समयावधि में सूचित किया जा सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक क्षेका/तक/छ.प.सं.मं./2024 रायपुर दिनांक / /2024

प्रतिलिपी :– सदस्य सचिव, मुख्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
रायपुर (छ.ग.)

LiFE
Lifestyle for Environment

15 छत्तीसगढ़

आज़ादी का अमृत महोत्सव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
Email add- hocecb@gmail.com

क्रमांक 9909 /विधि/छ.ग.प.सं.मं./2024 अटल नगर दिनांक 11/3/2024

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–गरियाबंद (छ.ग.)

विषय :– Notice of hearing in Suo Moto matter In re : News Item Appearing in lalluram.com dated 30.01.204 titled *"खनिज माफियाओं के हौसले बुलंद : रेत घाट में अवैध उत्खनन रोकने गई खनिज टीम पर जानलेवा हमला, गाड़ियों में की तोड़फोड़, किसकी शह पर गुंडागर्दी ?"*

संदर्भ :– ओ.ए. क्रमांक 252/2024 ई–मेल दिनांक : 06.03.2024

Notice of hearing in Suo Moto matter In re : News Item Appearing in lalluram.com dated 30.01.204 titled *"खनिज माफियाओं के हौसले बुलंद : रेत घाट में अवैध उत्खनन रोकने गई खनिज टीम पर जानलेवा हमला, गाड़ियों में की तोड़फोड़, किसकी शह पर गुंडागर्दी ?"* उपरोक्त के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (पी.बी.) से प्राप्त नोटिस की प्रति संलग्न है, अवलोकन करने का कष्ट करें। उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 20/03/2024 को Physical hearing (with hybrid option) नियत है। कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पृ. क्र. 9910/विधि/छ.ग.प.सं.मं./2024 अटल नगर दिनांक 11/3/2024

प्रतिलिपि :–

1. श्री पी. जगन, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) 462016 की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री प्रसन्ना सोनकर, सहायक अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर (छ.ग.) को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 252/2024 में दिनांक 20/03/2024 को Physical hearing (with hybrid option) नियत है। प्रकरण के संबंध में समस्त जानकारी के साथ Physical hearing (with hybrid option) में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

राजधानी में बड़ा हादसा: डंपर की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, 50 मीटर तक घसीटते ले गया ड्राइवर
Today | 2 mins ago

मंत्री जी की फिसली जुबान, कहा- 'हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान... नहीं.. नहीं.. डॉ मोहन यादव...' देखें वीडियो
Today | 4 mins ago

छत्तीसगढ़
वर्दी की गर्मी में धौंस : पुलिसकर्मियों ने दुकान संचालक से की गाली-गलौज और मारपीट, SP ने किया लाइन अटैच, देखें VIDEO ...
Today | 16 mins ago

इन विषयों के MPhil कार्यक्रम 2025-26 तक रहेंगे मान्य, UGC ने बढ़ाई वैधता अवधि
Today | 18 mins ago

नई सरकार के खिलाफ पहली बार लामबंदी: महंगाई भत्ता को लेकर कर्मचारी संगठन खफा, मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय आंदोलन का ऐलान
Today | 19 mins ago

Home » छत्तीसगढ़ » न्यूज़

खनिज माफियाओं के हौसले बुलंद: रेत घाट में अवैध उत्खनन रोकने गई खनिज टीम पर जानलेवा हमला, गाड़ियों में की तोड़फोड़, किसकी शह पर गुंडागर्दी ?

Himanshu Singh 30 Jan 2024, 02:26 PM छत्तीसगढ़

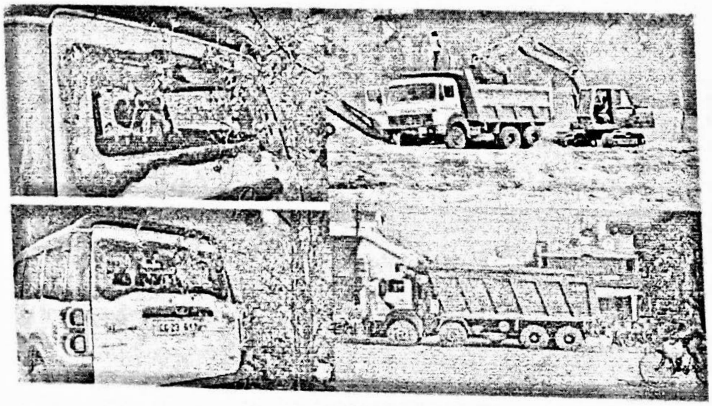

Share Share Share Follow

पुरुषोत्तम पात्र, गरियाबंद. प्रदेश में खनिज माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि, वो अब सरकारी अधिकारियों को भी नहीं बख्श रहे हैं. ताजा मामला गरियाबंद जिले के पंडुका से आया है. जहां कुटेना स्थित रेत घाट पर अवैध उत्खनन रोकने पहुंची खनिज विभाग की टीम पर माफियाओं ने हमला कर दिया. विभाग की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है. इस मामले में अब विभाग एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रहा है.

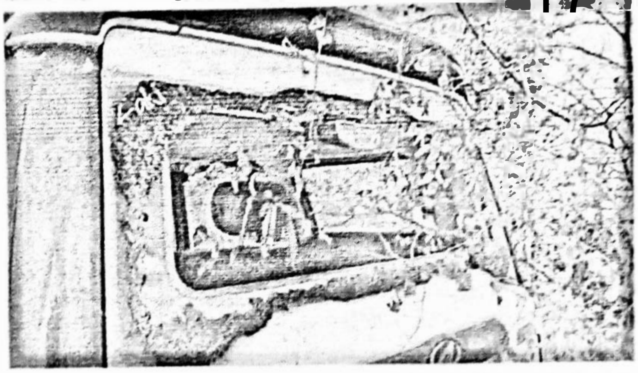

बता दें कि, पांडुका के कुटेना रेत घाट में लगातार अवैध उत्खनन की शिकायत खनिज विभाग की टीम को मिल रही थी. इसी कड़ी में आज खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी. लेकिन माफियाओं ने अवैध उत्खनन का काम बंद करना तो दूर खनिज टीम पर ही हमला बोल दिया है. खनिज विभाग के अधिकारी किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुए. लेकिन उनकी गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश की अलग अलग जिले रेत घाट का ठेका हर साल किया जाता है. लेकिन कुटेना रेत घाट का ठेका इस बार प्रशासन ने किसी को नहीं दिया है. यही वजह है कि, इस बार यहां पर माफियाओं का बोलबाला देखने को मिल रहा है.

सत्ता बदलते ही सेंटिंग का आरोप

महानदी के कुटेना,कोपरा,चौबेबांधा व कूकदा घाट में 7 से ज्यादा मशीन लगी हुई हैं,जो दिन रात रेत का अवैध परिवहन कर रही है।बताया जाता है की इन घाटों की वैधता खत्म होने के बावजूद यहां लगातार अवैध खनन जारी है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, काम में जुड़े सरगना वही हैं. बस सत्ता बदलते ही सेटिंग और सेटिंग के बाद देने वाले कलेक्शन का पता बदल गया है.

छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

इस कान की मशीन की कीमत (और आकार) देख कर शायद...
Hear.com | Sponsored

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) गरियाबंद, छत्तीसगढ़

कलेक्टर परिसर (रूम न 73. प्रथम तल), e-mail: mininggariaband@gmail.com

क्रमांक 1057 /ख.लि./न्याया. /2023–24 गरियाबंद, दिनांक 18/03/2024

प्रति,

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण सरंक्षण मण्डल
न्यू आफिस बिल्डिंग रिग रोड न 02
टाटीबंध रायपुर (छ.ग.)

विषय :– Notice of hearing in Suo Moto matter in re; News item appering in lalluram. com dated; 30.01.2024 entitled खनिज माफियाओं के हौसले बुलंद रेत घाट में अवैध उत्खनन रोकने गई खनिज टीम पर जानलेवा, गाडियों में की तोड़फोड किसकी शह पर गुडागर्दी?

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक 6702/क्षेका/तक./छ.प.सं.मं./2024 रायपुर दिनांक 12.03.2024

—::00::—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 29.01.2024 को ग्राम कुटेना के पैरीनदी घाट में खनिज रेत के अवैध उत्खनन को रोकने गये जिला गरियाबंद के खनिज अमला पर रेत माफियाओं के द्वारा जानलेवा हमला किया गया। जिसकी प्राथमिकी 30.01.2024 को पुलिस थाना पाण्डुका में दर्ज की गई। जिसमें पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुये 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 05.02.2024 को कलेक्टर न्यायालय में वाहन कमांक सीजी 07 सीपी 8195 एवं वाहन कमांक सीजी 07 सीएन 9029 के विरूद्ध कमशः 26500/– एवं 26500/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इस निर्णय के विरूद्ध वाहन मालिकों द्वारा दिनांक 06.02.2024 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद जिला गरियाबंद के समक्ष अपील किया गया।

संलग्न :– 1. एफआईआर की कापी
2. की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी

(18.03.2024)

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
जिला–गरियाबंद (छ.ग.)

क्रमांक 1058 /ख.लि./न्याया. /2023–24 गरियाबंद, दिनांक 18/03/2024

प्रति,

सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, पर्यावास भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

18/3/24

अपर कलेक्टर
जिला–गरियाबंद (छ.ग.)

//कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला गरियाबंद (छ0ग0) //

क्रमांक :- उमनि./गरि./रीडर/166-ए/2024 दिनांकः-18.03.2024

प्रति,

अपर कलेक्टर,
जिला-गरियाबंद(छ0ग0)

विषय :- Notice of hearing in Suo Moto matter in re; News item appering in lalluram.com dated 30-01-2024 entitled खनिज माफियाओं के हौसले बुलंद रेत घाट में अवैध उत्खनन रोकने गई खनिज टीम पर जानलेवा, गाड़ियों में की तोड़फोड़ किसकी शह पर गुंडागर्दी?

संदर्भ :- आपका पत्र क्र.1039/ख.लि./न्याया./2023-24 गरियाबंद दिनांक 15.03.2024

---000---

संदर्भित पत्र के परिपालन में Notice of hearing in Suo Moto matter in re; News item appering in lalluram.com dated 30-01-2024 entitled खनिज माफियाओं के हौसले बुलंद रेत घाट में अवैध उत्खनन रोकने गई खनिज टीम पर जानलेवा, गाड़ियों में की तोड़फोड़ किसकी शह पर गुंडागर्दी के संबंध में पेपर कतरन प्राप्त हुआ है। जिसमें उक्त प्रकरण के संबंध में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी चाही गई थी।

अतः चाही गई जानकारी थाना प्रभारी पाण्डुका से प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

उमनि/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला-गरियाबंद(छ0ग0)

// कार्यालय थाना प्रभारी थाना पाण्डुका, जिला गरियाबंद (छ.ग.)//

क्रमांक/था.प्र./पाण्डुका/ 934 /2024 दिनांक 18/03/2024

प्रति,

श्रीमान उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय,

जिला गरियावंद (छ.ग.)

विषय :- Notice of hearing in Suo Moto matter in re; News item appering in lalluram.com dated30-01-2024 entitled खनिज माफियाओं के हौसले वुलंद रेत घाट में अवैघ उत्खनन रोकने गई खनिज टीम पर जानलेवा, गाडियों में की तोड़फोड़ किसकी शह पर गुडागर्दी?

संदर्भ :- क्रमांक-उमनि/गरि/रीडर/166/2024 दिनांक 18.03.2024

---000---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से Notice of hearing in Suo Moto matter in re; News item appering in lalluram.com dated 30-01-2024 entitled खनिज माफियाओं के हौसले वुलंद रेत घाट में अवैघ उत्खनन रोकने गई खनिज टीम पर जानलेवा, गाडियों में की तोड़फोड़ किसकी शह पर गुडागर्दी के संवंध में पेपर कतरन प्राप्त हुआ है, जिसके संवंध में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी चाही गई है। तत्संवंध में दिनांक 30.01.2024 को प्रकरण के प्रार्थी खनिज निरीक्षक सुमाश चंद्र साहू पिता श्री झगरू राम साहू उम्र 35 वर्ष साकिन सिविल लाईन गरियावंद थाना सिटी कोतवाली गरियावंद जिला गरियावंद (छ0ग0) अपने स्टॉफ के साथ दिनांक 29.01.2024 को ग्राम कुटेना के नदी घाट में अवैघ रेत उत्खनन की शिकायत प्राप्त होने पर उच्च अधिकारी के आदेश पर निजी वाहन स्कार्पियों क्रमांक सीजी 23-6119 से हमराह स्टाफ नगर सैनिक राजेश भारद्वाज, हरिशंकर निषाद, दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक नंदकुमार साहू एवं प्रायवेट वाहन चालक जुवैर खान के साथ रात्रि में कुटेना रेत खदान में निरीक्षण करने गये मौके में दो हाईवा क्र0 सीजी 07 सीएन 9029 एवं क्र0 सीजी 07 सीपी 8195 एवं तीन चैंन माउंटेन मशीन अवैघ उत्खनन करते पाया गया जिसमें से दो चैन माउंटेन का आपरेटर चैन माउंटेन को छोडकर भाग गये मौके पर दो हाइवा क्र0 CG-07, CN-9029 एवं क्र0 CG-07, CP-8195 एवं एक चैन माउंटेन मे आपरेटर मिला जिसे जप्त कर हाईवा क्र0 सीजी 07 सीएन 9029 में नगर सैनिक हरीशंकर निषाद हाईवा क्र0 सीजी 07 सीपी 8195 में नगर सैनिक राजेश भारद्वाज तथा चैन माउंटेन मशीन में नंद कुमार साहू को बैठाकर थाना पाण्डुका के लिये रवाना किया गया शेष 02 माउंटेन को मौके पर छोडकर आ रहे थे प्रार्थी अपनी गाडी में प्रायवेट चालक जुवैर खान के साथ जिस चैन माउंटेन में नंद कुमार साहू को वैठाकर उसके पीछे पीछे स्कारपियो वाहन से पुलिस थाना पाण्डुका आ रहा था कि करीवन रात्रि 12.10 वजे जैसे ही नदी घाट के उपर पहूचे थे की उसी समय सामने से एक सफेद रंग के वोलेरो क्रमांक सीजी 23 जे 8605, एक सफेद रंग के कार क्रमांक सीजी 04 एम 5562 एवं एक इनोवा कार जैसे लंवी वाहन से महेश छावडा, सुरेश उर्फ सुरेन्द्र साहू, कलीराम साहू, राहुल वाघेकर के साथ करीवन 10 से 15 लोग चैन माउंटेन के सामने अपने गाडी को रोककर लाठी, डण्डा व राड से लैस होकर उतरे तथा चैन माउंटेन मे वैठे नंद कुमार साहू से चैन माउंटेन मशीन की चावी छीनकर सभी एक राय होकर रास्ता रोककर प्रार्थी को लोक सेवक होना जानते हुये भी उसके निर्वहन कार्य में वाधा डालते

हुये महेश छावडा प्रार्थी का कालर पकड कर गाडी से खींचकर माँ वहन की अश्लील गाली गलौच करते हुये तुम लोग हमारी गाडी को ले जाओगे तो तुम लोगो को जान से खतम कर देंगे कहते हुये महेश छावडा द्वारा वाये गाल पर एक थप्पड मारा है तथा उन लोगो के द्वारा पकडे हुये लाठी डण्डा व राड से प्रार्थी के प्रायवेट स्कार्पियो वाहन में तोड फोड कर नुकसान पहुचाया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 21/2024 धारा 341, 294, 506, 323, 147, 148, 149, 353, 186, 427 भादवि. पंजीवद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी के आयी चोंट का मुलाहिजा जिला अस्पताल गरियावंद से कराया जाकर प्रकरण में अपराध धारा 332 भादवि का घटित करना पाये जाने से धारा 332 भादवि जोडी गई। प्रकरण के विवेचना दौरान आरोपी कलीराम साहू, पिता स्व. लखन साहू उम्र 63 वर्ष ग्राम कुटेना थाना पाण्डुका को दिनांक 31.01.2024 के 11.20 वजे एवं तहसीलदार के समक्ष प्रार्थी से पहचान कार्यवाही कर आरोपी 1. सुरेन्द्र कुमार विरजे पिता युदु राम विरजे उम्र 48 वर्ष, 02.टीकाराम पिता राम लाल साहू उम्र 51 वर्ष, 03. लोकेश साहू पिता किशन लाल साहू उम्र 33 वर्ष, 04. खुलूराम पिता बुधु राम महिलांगे उम्र 51 वर्ष, 05. महेन्द्र साहू पिता लाल जी साहू उम्र 46 वर्ष, 06. विमल साहू पिता नेहरू साहू उम्र 37 वर्ष सभी निवासी ग्राम कुटेना थाना पाण्डुका, जिला गरियावंद (छ.ग.) को 20.02.2024 के क्रमशः 22.20, 22.30, 22.40, 22.50, 23.00, 23.10 वजे विधिवत गिरफ्तार कर ज्युडिसियल रिमांड पर भेजा गया था एवं प्रकरण के शेष आरोपी 01. महेश छावडा पिता लालचंद छावडा साकिन वार्ड क्रं. 23 गोकूल वाटिका धमतरी 02. राहुल वांघेकर पिता उमेन्द वांघेकर ग्राम चरमुडिया थाना कुरूद 03. सुरेश उर्फ सुरेन्द्र साहू पिता कलीराम साहू ग्राम कुटेना थाना पाण्डुका जिला गरियावंद का लगातार पता साजी किया गया जो घटना दिनांक से सकूनत से फरार होने से फरारी पंचनामा तैयार कर चल अचल संपत्ति की जानकारी संवंधित तहसील कार्यालय से प्राप्त किया गयां। फरार आरोपी के विरूद्ध साक्ष्य संकलन करना है जिसके कारण धारा 173(8) जाफौ. में विवेचना कार्यवाही सुरक्षित रखते हुये गिरफ्तार एवं फरार आरोपीगणो के विरूद्ध अपराध धारा 341, 294, 506, 323, 147, 148, 149, 332, 353, 186, 427 भादवि. का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से अभियोग पत्र क्रमांक 29/2024 दिनांक 28/02/2024 तैयार कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय राजिम में दिनांक 29.02.24 को अभियोग पत्र पेश किया गया है, जिसका केश नंवर 324/2024 प्राप्त हुआ है। प्रकरण में फरार आरोपीगण का पतासाजी कर पूरक अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया जायेगा।

अतः श्रीमान जी जानकारी सादर प्रेपित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

थाना प्रभारी
थाना पाण्डुका
जिला गरियावंद (छ.ग.)

:: प्रोफार्मा

क.	थाना का नाम	अपराध कमांक धारा	घटना दिनांक /स्थल	कायमी दिनांक	प्रार्थी	घटना का संक्षिप्त विवरण	नाम आरोपी एवं गिरफ्तारी दिनांक	चालान क./पेश दिनांक	गिरफ्तारी हेतु शेष आरोपियान	पूरक चालान कमांक /पेश दिनांक	फरार आरोपियों के गिरफ्तारी हेतु किये गये प्रयास
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	पाण्डुका	21/24 341, 294, 323, 506, 147, 148, 149, 353, 332, 186, 427 भादवि0	30.01.24 के रात्रि 00.10 बजे ग्राम कुटेना नदी घाट के पास	18 30.01.24 के 15.50 बजे	खनिज निरीक्षक सुभाष चन्द्र साहू पिता झगरू राम साहू उम्र 35 वर्ष साकिन सिविल लाईन गरियाबंद थाना सिटी कोतवाली गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ. ग.) 8839532363	दि.घ.स. को प्रार्थी अवैध रेत उत्खनन की शिकायत पर कुटेना रेत खदान में निरीक्षण करने गये थे तभी मौके पर दो हाइवा क्रमांक सीजी-07, सीएन-9029 एवं सीजी-07, सीपी-8195 एवं तीन माउंटेन मशीन अवैध उत्खनन करते पाया गया जिसमें दो माउंटेन मशीन का आपरेटर देखकर भाग गया जिससे दो हाइवा एवं एक माउंटेन मशीन को जप्त कर थाना पाण्डुका ला रहे थे तभी आरोपीगण बोलेरो क्रमांक सीजी-23, जे-8605, कार क्रमांक सीजी-04, एम-5562 एवं एक	1. कलीराम साहू, पिता स्व. लखन साहू उम्र 63 वर्ष 2. सुरेश कुमार विरजे पिता बुदुराम विरजे उम्र 48 वर्ष 3. टीकाराम साहू पिता रामलाल साहू उम्र 51 वर्ष 4. लोकेश साहू पिता किशन लाल साहू उम्र 33 वर्ष 5. खुलुराम महिलांगे पिता बुधुराम महिलांगे उम्र 51 वर्ष 6. महेन्द्र साहू पिता लालजी साहू उम्र 46 वर्ष 7. विमल साहू पिता नोहर साहू उम्र 37 वर्ष साकिनान कुटेना, थाना पाण्डुका, जिला गरियाबंद (छ.ग.)	चा0क्र0 29/24 28.02.24 के0न0 324/24 29.02.24	01. सुरेन्द्र साहू पिता कलीराम साहू साकिन कुटेना थाना पाण्डुका, जिला गरियाबंद (छ.ग.), 02. महेश छाबड़ा पिता लालचंद छावड़ा साकिन वार्ड नं. 23 गोकुल वाटीका धमतरी, थाना सिटी कोतवाती धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.), 03. राहुल बांधेकर पिता उमेन्द बांधेकर साकिन चरमुडीया, थाना कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.)	-	फरार आरोपीगण का लगातार पतासाजी किया जा रहा है, मिलने पर विधिवत गिरफ्तार कर पूरक चालान पेश की जायेगी।

- गिरफ्तारी हेतु शेष आरोपी :-

						इनोवा कार से करीबन 10 से 15 लोग चैन माउंटेन के सामने अपनी गाडी को रोककर लाटी डण्डा व राड से लैस होकर प्रार्थी का रास्ता रोककर, लोक सेवक होना जानते हुये भी निर्वहन कार्य में वाघा डालते हुये गाड़ी से कातर पकड़कर निकाल कर माँ वहन की अश्लील गाली गलौच करते हुये तुम लोग हमारी गाड़ी को ले जाओगे तो जान से खतम कर देंगे कहते हुये प्रार्थी को गाल में एक थप्पड मारकर गाडी को लाटी डण्डा व राड से तोड़ फोड़ कर नुकसान पहुंचाया है कि रिपोर्ट पर अपराघ पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया।	गिर0 दिनांक 31.01.24 के 11.20 वजे 21.02.24 के क्रमशः 22.20, 22.30, 22.40, 22.50, 23.00, 23.10, वजे				

-:: संक्षेपिका ::-

- थाना का नाम :- पाण्डुका जिला :- गरियावंद (छ.ग.)
- अपराध क्रमांक :- 21/2024 धारा :- 341, 294, 323, 506, 147, 148, 149, 353, 332, 186, 427 भादवि0
- प्रार्थी का नाम मोबाईल नंबर सहित :- खनिज निरीक्षक सुभाष चन्द्र साहू पिता झगरू राम साहू उम्र 35 वर्ष साकिन सिविल लाईन गरियावंद थाना सिटी कोतवाली गरियावंद जिला गरियावंद (छ.ग.) मो.नं. 8839532363
- दिनांक घटना समय :- 30.01.24 के रात्रि 00.10 बजे
- घटना स्थल :- ग्राम कुटेना नदी घाट के पास
- दिनांक रिपोर्ट समय :- 30.01.24 के 15.50 बजे
- एफआईआर में दर्ज आरोपीगण का नाम :- 1. महेश छावड़ा,
  2. सुरेश उर्फ सुरेन्दर साहू, ग्राम कुटेना, थाना पाण्डुका, जिला गरियावंद
  3. क्लीराम साहू, पिता स्व. लखन साहू उम्र 63 वर्ष साकिन कुटेना, थाना पाण्डुका, जिला गरियावंद (छ.ग.)
  4. राहूल वांधेकर एवं अन्य लोग
- गिरफ्तार आरोपीगण :- 1. क्लीराम साहू, पिता स्व. लखन साहू उम्र 63 वर्ष
  2. सुरेश कुमार विरजे पिता बुदुराम विरजे उम्र 48 वर्ष
  3. टीकाराम साहू पिता रामलाल साहू उम्र 51 वर्ष
  4. लोकेश साहू पिता किशन लाल साहू उम्र 33 वर्ष
  5. खुलुराम महिलांगे पिता बुधुराम महिलांगे उम्र 51 वर्ष
  6. महेन्द्र साहू पिता लालजी साहू उम्र 46 वर्ष
  7. विमल साहू पिता नोहर साहू उम्र 37 वर्ष साकिनान कुटेना, थाना पाण्डुका, जिला गरियाबंद (छ.ग.)
- गिरफ्तारी दिनांक :- 31.01.24 के 11.20 बजे एवं दिनांक 21.02.24 के क्रमशः 22.20, 22.30, 22.40, 22.50, 23.00, 23.10, बजे
- गिरफ्तारी हेतु शेष आरोपी :-
  01. सुरेन्द्र साहू पिता क्लीराम साहू साकिन कुटेना थाना पाण्डुका, जिला गरियाबंद (छ.ग.)
  02. महेश छावड़ा पिता लालचंद छावड़ा साकिन वार्ड नं. 23 गोकुल वाटीका धमतरी, थाना सिटी कोतवाली धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.),
  03. राहुल वांधेकर पिता उमेन्द वांधेकर साकिन चरमुडीया, थाना कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.)
- कायमीकर्ता :- प्रआर0 90 भूषण लाल वांधे थाना पाण्डुका, जिला गरियावंद (छ.ग.)

- **विवेचक :-** प्रआर0 90 भूपण लाल वांधे धाना पाण्डुका, जिला गरियावंद (छ.ग.)
- **घटना का संक्षिप्त विवरण :-** दि.घ.स. को प्रार्थी अवैध रेत उत्खनन की शिकायत पर कुटेना रेत खदान में निरीक्षण करने गये थे तभी मौके पर दो हाइवा क्रमांक सीजी-07, सीएन-9029 एवं सीजी-07, सीपी-8195 एवं तीन माउंटेन मशीन अवैध उत्खनन करते पाया गया जिसमें दो माउंटेन मशीन का आपरेटर देखकर भाग गया जिससे दो हाइवा एवं एक माउंटेन मशीन को जप्त कर थाना पाण्डुका ला रहे थे तभी आरोपीगण योलेरो क्रमांक सीजी-23, जे-8605, कार क्रमांक सीजी-04, एम-5562 एवं एक इनोवा कार से करीबन 10 से 15 लोग चैन माउंटेन के सामने अपनी गाडी को रोकरकर लाठी डण्डा व राड से लैस होकर प्रार्थी का रास्ता रोककर, लोक सेवक होना जानते हुये भी निर्वहन कार्य में बाधा डालते हुये गाड़ी से कालर पकड़कर निकाल कर माँ बहन की अश्लील गाली गलौच करते हुये तुम लोग हमारी गाड़ी को ले जाओगे तो जान से खतम कर देंगे कहते हुये प्रार्थी को गाल में एक थप्पड मारकर गाडी को लाठी डण्डा व राड से तोड़ फोड़ कर नुकसान पहुंचाया है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना कार्यवाही पूर्ण होने पर एवं अन्य आरोपी फरार होने से साक्ष्य संकलन करने हेतु धारा 173(8) जाफौ. में विवेचना कार्यवाही सुरक्षित रखते हुये गिरफ्तार एवं फरार आरोपीगणो के विरूद्ध अपराध धारा 341, 294, 506, 323, 147, 148, 149, 332, 353, 186, 427 भादवि. का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से दिनांक 28/02/2024 को अभियोग पत्र क्रमांक 29/2024 तैयार कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय राजिम में दिनांक 29.02.24 को पेश किया गया है, जिसका केश नंवर 324/2024 प्राप्त हुआ है। प्रकरण में फरार आरोपी का पतासाजी कर पूरक अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया जायेगा।

थाना प्रभारी
थाना पाण्डुका
जिला गरियाबंद (छ.ग.)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला):गरियाबंद P.S. (थाना):पाण्डुका Year (वर्ष):2024
FIR No. (प्र.सू.रि.सं.): 0021
Date and Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 30/01/2024 15:50 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	341
2	भा दं सं 1860	294
3	भा दं सं 1860	323
4	भा दं सं 1860	506
5	भा दं सं 1860	147
6	भा दं सं 1860	148
7	भा दं सं 1860	149
8	भा दं सं 1860	353
9	भा दं सं 1860	186
10	भा दं सं 1860	427

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day (दिन): मंगलवार
Date From (दिनांक से): 30/01/2024 Date To (दिनांक तक): 30/01/2024
Time Period (समय अवधि): पहर 1 Time From (समय से): 00:10 बजे
Time To (समय तक): 00:10 बजे
(b)Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक):30/01/2024 Time (समय): 15:50 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 010
Date & Time (दिनांक और समय): 30/01/2024 15:50 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Oral

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम, 03 किमी
Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): ग्राम कुटेना नदी घाट के पास
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S.(थाना का नाम):
District(State) (ज़िला (राज्य)):

12.First Info... मैं कि...

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सुभाष चन्द साहू

(b) Father's Name (पिता का नाम) : झगरू राम साहू

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1989

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h)Address (पता):

S.No.(क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	सिविल लाईन गरियाबंद ,गरियाबंद,गरियाबंद,छत्तीसगढ़,भारत
2	स्थायी पता	सिविल लाईन गरियाबंद ,गरियाबंद,गरियाबंद,छत्तीसगढ़,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय): अन्य

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8839532363

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	महेश छावडा			1. -------,पाण्डुका,गरियाबंद,छत्तीसगढ़,भारत
2	सुरेश	सुरेन्द साहू		1. कुटेना,पाण्डुका,गरियाबंद,छत्तीसगढ़,भारत
3	कलीराम साहू			1. कुटेना,पाण्डुका,गरियाबंद,छत्तीसगढ़,भारत
4	राहुल वांधेकर			1. ------,पाण्डुका,गरियाबंद,छत्तीसगढ़,भारत
5	अज्ञात1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

वरिष्ठ अधिकारियो से राय मश्वरा बाद

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मैं जिला कार्यालय खनिज शाखा गरियाबंद में खनि निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि दिनांक 29.01.2024 को ग्राम कुटेना के नदी घाट में अवैध रेत उत्खनन की शिकायत प्राप्त हुआ था उच्च अधिकारी के आदेश पर शास0 वाहन क्र0 CG 02 2950 के खराब होने के कारण निजी वाहन स्करपियो क्रमांक CG 23-6119 से हमराह स्टाफ नगर सैनिक राजेश भारद्वाज, हरिशंकर निषाद, दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक नंदकुमार साहू एवं प्रायवेट वाहन चालक जुबैर खान के साथ रात्रि में कुटेना रेत खदान में निरीक्षण करने गये मौके में दो हाईवा क्र0 CG 07 CN 9029 एवं क्र0 CG 07 CP 8195 एवं तीन चैन माउंटेन मशीन अवैध उत्खनन करते पाया गया जिसमें से दो चैन माउंटेन का आपरेटर हम लोग को देखकर चैन माउंटेन को छोडकर भाग गये मौके पर दो हाइवा क्र0 CG 07 CN 9029 एवं क्र0 CG 07 CP 8195 एवं एक चैन माउंटेन मे आपरेटर मिला जिसे जप्त कर हाईवा क्र0 CG 07 CN 9029 में नगर सैनिक हरीशंकर निषाद हाईवा क्र0 CG 07 CP 8195 में नगर सैनिक राजेश भारद्वाज तथा चैन माउंटेन मशीन में नंद कुमार साहू को बैठाकर थाना पाण्डुका के लिये रवाना किया गया शेष 02 माउंटेन को मौके पर छोडकर आ रहे थे मै अपनी गाडी में प्रायवेट चालक जुबैर खान के साथ जिस चैन माउंटेन में नंद कुमार साहू को बैठाकर उसके पीछे पीछे मैं अपने स्कारपियो वाहन से पुलिस थाना पाण्डुका आ रहा था कि करीबन रात्रि 12.10 बजे जैसे ही नदी घाट के उपर पहूचे थे की उसी समय सामने से एक सफेद रंग के बोलेरो क्रमांक CG 23 J 8605, एक सफेद रंग के कार CG 04 M 5562 एवं एक इनोवा कार से करीबन 10 से 15 लोग चैन माउंटेन के सामने अपने गाडी को रोककर लाठी, डण्डा व रड से लैस होकर उतरे जिसमे से मैं महेश छावडा, सुरेश उर्फ सुरेन्द्र साहू, कलीराम साहू, राहुल बांधेकर को जानता पहचानता हूं एवं अन्य लोगो को नही पहचानता हूं जो तथा चैन माउंटेन मे बैठे नंद कुमार साहू से चैन माउंटेन मशीन की चाबी छीनकर सभी एक राय होकर रास्ता रोककर मुझे लोक सेवक होना जानते हुये भी मेरे निर्वहन कार्य में बाधा डालते हुये गाडी से कलर पकड कर निकाल कर साले मादरचोद तेरी मां बहन को चोदु की गाली गलौच करते हुये तुम लोग हमारी गाडी को ले जाओगे तो तुम लोगो को जान से खतम कर देंगे कहते हुये महेश छावडा द्वारा मेरे बाये गाल पर एक थप्पड मारा है तथा उन लोगो के द्वारा पकडे हुये लाठी डण्डा व रड से मेरे गाडी को तोड फोड कर नुकसान पहुचाया है जिस घटना को मेरे प्रायवेट वाहन चालक जुबैर खान देखे सुने एवं जानते है मारपीट करने से मेरे मुंह एवं बाये गाल मे दर्द हो रहा है रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही चाहता हूं कि रिपोर्ट पढकर देखा सुना मेरे बतायेनुसार सही सही लिखा गया है।

13. Action taken:Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है ।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or — BHUSHAN LAL BHANDHE(HC (Head Constable)) /

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):
Rank (पद): No.(सं.):
to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)
or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) ·

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14.Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15.Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): BHUSHAN LAL BHANDHE
Rank(पद): HC (Head Constable)
No.(सं.):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					
2	पुरुष					
3	पुरुष					
4	पुरुष					
5						

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma(लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20
						अन्य करीबन 10 से 12 लोग

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPLE BENCH, (DELHI)
O.A NO. 252/2024

IN THE MATTER OF:

IN RE: NEWS ITEM APPEARING IN LALLURAM.COM DATED: 30.01.2024(OA No. 252/2024)"

VAKALATNAMA

KNOW ALL to whom these presents shall come that ~~I/we,~~ PRASANNA SONKAR, authorized representative of Chhattisgarh Environment Conservation ~~Board, Raipur do hereby appoint,~~

Abhinay Sharma (D/2192/2011), Pooran Chand Roy (D/11009/2021), Kirti Vyas (MP/3250/2021), Parul Khurana (D/5897/2022), Deeksha Prakash (D/4182-A/2022).

(Hereinafter called the Advocate) to be my/our Advocate in the above-noted case and authorize: -

To act, appear plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High Court to payment of fees separately for each court by me/us.

To sign, file verify and present pleadings, replications appeal cross-objections or petitions for executions, review, revision, restorations withdrawal compromise or other petition, replies, objections or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages.

To file and take back documents.

To withdraw, or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that many arise touching or in any manner relating to the said case.

To take out execution proceedings.

To deposit, draw and receive moneys, cheque and grant receipt thereof and to do all other acts and things Which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the case.

To appoint and instruct and other Legal Practitioner authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the attorney on our behalf.

And I/We the undersigned do hereby agree to rectify and confirm acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purpose.
And I/We undertake that I/We or my/our duly authorized agent would appear in Court on all hearings and will inform the Advocate for appearance when the case is called.

And I/We undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case in consequence of his absence from the Court when the said case is called up for hearing, or any negligence of the said Advocate/s or his/their Substitute.

And -I/We the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or any part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid he/they shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. If any costs are allowed for an adjournment, the Advocate would be entitled to the same. The free settled is only for the above case and Court.

IN WITNESS WHE EOF I/We do hereunto set my/our hand to those presents the contents of which have been understood by me/us this ....18th..day of ....MARCH....of 2024

Accepted subject to the terms of fees.

Abhinay　Parul
Advocates
Deeksha
Kirti Vyas　Chand D/11009/2021

Client
PRASANNA SONKAR

सहायक अभियंता
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल
न्यू आफिस बिल्डींग रिंग रोड नं.-2
टाटीबंध रायपुर (छ.ग) 492099

₹10
NCT OF DELHI COURT FEE
DLCT1532816B2437J
15-FEB-2024

ADVOCATES' WELFARE FUND STAMP
BAR COUNCIL OF DELHI
₹25
1069625
पच्चीस रुपए　TWENTYFIVE RUPEES